

रजिस्ट्री सं. डी.एन.-33004/92

REGD. NO. D.L.-33004/92



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

पं. 41] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 27, 1992/माघ 7, 1913
No. 41] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 27, 1992/MAGHA 7, 1913

इस भाग में मिल पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Faging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

(ओ.पी.आर./ई.ओ.ओ.एस. ब्रेक)

प्रविष्टि

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 1992

मा. का. नि. 64 (घ) -- भारतीय विस्फोटक प्रविनिगम, 1884 (1884 का 4) की धारा
6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, निर्माण प्रारम्भ एवं शहरी विकास मंत्रालय
का प्रविष्टि सं. 3/1/65 -पी.आई.आई. (9) विभाग 1-4-66 का प्रविष्टि करते हुए केन्द्र

253 GI/92

(1)

2

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[Part II—Sec. 3(i)]

सरकार उन विस्फोटक पदार्थों के उत्पादन करने, रखने तथा आयात करने पर प्रतिबंध लगाता है जो सल्फर या पोटैशियम के क्लोरेट मिश्रित क्लोरेट अथवा किसी अन्य क्लोरेट से निर्मित हों या युक्त हों :

परन्तु यह प्रतिबंध उन विस्फोटक पदार्थों का उत्पादन करने अथवा उन्हें धरने पास रखने पर लागू नहीं होगा जो;

- (क) कम मात्रा में वैज्ञानिक उपयोग के लिए हों;
- (ख) मालियों के सिरे बनाने के लिए हों;
- (ग) टॉय एमोसिस (बिना विस्तीर्ण हेतु पेपर कैप्स) में प्रयोग के लिए हों, अथवा
- (घ) रेलवे फोग सिग्नलों में प्रयोग हेतु परकुशन कैप्स में हों।

[सं. 1 (32)/91-उद्योग/संसाधन]

ए. पी. सिंह, सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

(D.P.R./E.G.G.S. Desk)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 1992

G.S.R. 64(E).—In exercise of the powers conferred by section 6 of the Indian Explosives Act, 1884 (4 of 1884), and in supersession of the notification of the Government of India, Ministry of Works, Housing & Urban Development No. 3/12/65-PII(IX) dated 1-4-1966, the Central Government is pleased to prohibit the manufacture, possession and importation of any explosive consisting of or containing sulphur or sulphuret in admixture with chlorate of potassium or any other chlorate :

Provided that this prohibition shall not extend to the manufacture or possession of such explosives :

- (a) in small quantities for scientific purposes ;
- (b) for the purpose of manufacturing heads of matches ;
- (c) for use in toy amorces (paper caps for toy pistols) ; or
- (d) in percussion caps for use in Railway Fog Signals.

[F. No. 1(32)/91-DPR|EGGS]

A. P. SINGH, Jt. Secy.